(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 65 (आर.ई. 2013)/2009–2014</u>
नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई, 2014

विषयः– प्रशुल्क दर कोटा के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को 8100 मीट्रिक टन खांड का निर्यात।

विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.1, 2.4 और 2.29 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, यूएस के वित्तीय वर्ष, 2014 (1 अक्तूबर 2013 से 30 सितम्बर 2014) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत निर्यात हेतु गैर–लेवी (मुक्त बिक्री) कोटा में से खांड (98 डिग्री पोल पर) की 8100 मीट्रिक टन की कुल मात्रा आबंटित करते हैं। यह निर्यात मैसर्स इंडियन शुगर एग्जिम कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के जरिए किया जाएगा।

2. संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित की गई जीएसपी प्रमाण पत्र के साथ–साथ अन्य प्रमाणन शर्त, यदि कोई हो, को जारी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीही चीनी के निर्यात से संबंधित मौजूदा प्रक्रिया का अनुपालन जारी रहेगी।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव</u>ः–

मैसर्स इंडियन शुगर एग्जिम कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा टीआरक्यू के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को 8100 मीट्रिक टन खांड के निर्यात की अनुमति है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/879/एएम08/निर्यात सैल (पार्ट) से जारी)